

OFFICE EXECUTIVE ENGINEER PWD DIVISION BARI

No. 362

Date 18.06.2019

To
The Deputy Conservator
Territorial Forest Division
Dholpur.

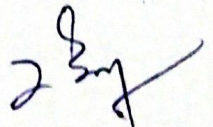
Subject- Diversion of Forest land 0.90 ha for Construction road from Dhooth to Khidarpur Village, tehsil-Sirmathura Distt. Dholpur Rajasthan Village under RRSMP-II scheme. funded by the World Bank
Ref- F-14(road)2015/FCA/PCCF/CCF EDS-II Jaipur dated 17.05.2019 and EDS/DFO 18.06.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रांसागिक पत्र द्वारा लगाए गये आक्षेप की पूर्ति निम्नानुसार कर दी गई है।

क्र. सं.	आक्षेप	अनुपालना
1	बिन्दु संख्या 1 की पालना नहीं। प्रस्ताव के पार्ट I के बिन्दु संख्या A-3(XVIII) में अधिकृत किये गये अधिकारी का नाम एस.एन. मथुरिया है। जबकि ऑनलाईन प्रस्ताव में आवेदक राकेश वर्मा अंकित है अपेक्षित संसोधन प्रस्तावित है।	प्रस्ताव के पार्ट I के बिन्दु संख्या ए-III में अधिकृत किये गये अधिकारी का नाम ऑनलाईन प्रस्ताव में संशोधित कर दिया गया है। औथोराइजेशन लेटर संलग्न कर दिया गया है।
2	बिन्दु संख्या 5 की पालना नहीं। प्रस्ताव के पार्ट I के बिन्दु संख्या C-B(IV) में DGPS Map संलग्न किया गया है किन्तु इसमें प्रस्तावित वन भूमि के समस्त कानर्स के अक्षांश देशान्तर संख्या एवं चैनेज संख्या अंकित नहीं किया गया है।	प्रस्ताव के पार्ट I के बिन्दु संख्या सी-वी में संलग्न केएमएल फाईल एरिया कैलकुलेशन में प्रस्तावित लम्बाई की चौड़ाई के अनुसार संशोधित कर संलग्न है।
3	बिन्दु संख्या 6 की पालना अपूर्ण। प्रस्ताव के पार्ट I के बिन्दु संख्या D में संशोधित Aleternative Analysis संलग्न कर दिये गये हैं किन्तु विकल्प KML file पर नहीं दर्शाये गये हैं।	प्रस्ताव के पार्ट I के बिन्दु संख्या डी में विकल्प एवं उनका विवरण संलग्न किये गये हैं। सी.डी. संलग्न कर दिया गया है।
4	बिन्दु संख्या 7 की पालना नहीं। प्रस्ताव के पार्ट I के बिन्दु संख्या K में Forest Right Act 2006 के अंतर्गत ग्राम सभा कार्यवाही विवरण संलग्न नहीं किया गया है। मूल वनाधिकार प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।	वनधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत जिला कलेक्टर का प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। हार्ड कॉपी में मूल वनधिकार प्रमाण पत्र पहले से संलग्न है।

5	बिन्दु संख्या 8 की पालना अपूर्ण। प्रस्ताव के पार्ट I के बिन्दु संख्या L में प्रस्तावित वन भूमि के समतुल्य गैर वन भूमि से संबंधित KML File, DGPS Map & GT Sheet संलग्न किया गया है। इसके अतिरिक्त हार्ड प्रति में संलग्न जी0टी0शीट नक्शों में दर्शायी गई प्रस्तावित गैर वन भूमि को वन क्षेत्र में होना दर्शाया गया है। जो सही नहीं है। हालांकि उपवन संरक्षक द्वारा उक्त क्षेत्र वन क्षेत्र से बाहर होना अंकित किया गया है। संशोधित सूचना संलग्न की जानी प्रस्तावित है।	उपपवन संरक्षक धौलपुर से अपेक्षित है।
6	बिन्दु संख्या 9 की पालना नहीं। उनवन संरक्षक द्वारा प्रस्ताव के पार्ट II के बिन्दु संख्या 11 में रोड़ का निर्माण कर लिया जाना अंकित किया गया है किन्तु वन संरक्षण अधिनियम 1980 की गाईड लाईन दिनांक 29.01.2018 के अनुसार कार्यवाही किया जाकर तथ्यात्मक रिपोर्ट संलग्न की जानी प्रस्तावित है।	उपपवन संरक्षक धौलपुर से अपेक्षित है।
7	किन्तु संख्या 10 की पालना अपूर्ण। उपवन संरक्षक द्वारा प्रस्ताव के पार्ट II के बिन्दु संख्या 12 में क्षतिपूर्ती योजना एवं उससे संबंधित KML File, DGPS Map & GT Sheet संलग्न किया गया है। इसके अतिरिक्त हार्ड प्रति में संलग्न जी0टी0शीट नक्शों में दर्शायी गई प्रस्तावित गैर वन भूमि को वन क्षेत्र में होना दर्शाया गया है। जो सही नहीं है। हालांकि उपवन संरक्षक द्वारा उक्त क्षेत्र वन क्षेत्र से बाहर होना अंकित किया गया है। संशोधित सूचना संलग्न की जानी प्रस्तावित है।	उपपवन संरक्षक धौलपुर से अपेक्षित है।


 Executive Engineer
 अधिशासी अभियन्ता
 सा0 नि0 वि0 वन संरक्षण